(c) if so, the steps being taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

सामाजिक सुधार समिति, दिल्ली

2070. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की सामाजिक सुरक्षा समिति में काम करने वाले सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के काम करने के घंटे तथा उनके वेतन-क्रम क्या हैं;

(ख) वहां पर कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि चौकीदारों को 18 से 22 घंटे तक काम करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या उन को कुछ अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी परिषदों द्वारा सरकार को अनेक बार शिकायतें भेजी गई हैं कि इन लोगों को कम वेतन दिया जाता है और उनसे बहुत अधिक काम लिया जाता है और उनको कोई छुट्टी नहीं दी जाती, यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री नु० क० चागला): (क) शिक्षा मंत्रालय को इस बात की जानकारी नहीं है कि दिल्ली प्रशासन अथवा दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभागों के अधीन दिल्ली की कोई समाज सुरक्षा समिति है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में कुछ बस्तियों का गिराया जाना

2071. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में ओंकार नगर ऐक्सटेंशन, सुदामा नगर, लेबु नगर, बुद्ध नगर, हंसा पुरी और रायपुरा के निकट स्वरूप नगर तथा शान्ति नगर में लगभग 3,000 मकानों का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लोगों ने उन मकानों के लिये अपने व्यक्तिगत धन से भूमि खरीदी थी और उन्होंने सरकार के पास उनकी रजिस्ट्री भी कराई थी, परन्तु सरकार उन मकानों को गिरा रही है; और

(ग) उनको गिराने के क्या कारण हैं और सरकार उन बस्तियों की भूमि का उपयोग किस कार्य के लिये करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सम्भवतः इस प्रश्न में ओंकार नगर ऐक्सटेंशन, सुदामा नगर, लेबु नगर, बुद्ध नगर, हंसापुरी, स्वरूप नगर तथा शांति नगर में बड़ी संख्या में निर्मित उन अनधिकृत निर्माणों का हवाला दिया गया है जिन्हें दिल्ली नगर निगम ने नोटिस दिया हुआ है।

(ख) और (ग). ये निर्माण अनधिकृत हैं अर्थात् ये दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 312 और 313 के अधीन स्वीकृत नहीं किये गये हैं अतः दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 343 के अधीन इन निर्माणों को गिराने के लिये कार्यवाही की गई क्योंकि इन का निर्माण अनधिकृत है और इन बस्तियों की भूमि उपयोग में लाने के लिये नहीं है।

Supersessions in Central Secretariat Services

2072. **Shri Warior:**
Shri Daji:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that before